न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 56/2016 **दायरा दिनांक : 08.03.2016**

उनवान

1— रामस्वरूप वल्द किशना, जाति चमार, निवासी पाटडीखेड़ा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

2— हरलाल वल्द किशना, जाति चमार, निवासी पाटडीखेड़ा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1— रूपचन्द वल्द नाथू उर्फ नानूराम, जाति चमार, निवासी पाटडीखेड़ा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

2— जगदीश कुमार वल्द नाथू उर्फ नानूराम, जाति चमार, निवासी पाटडीखेड़ा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

3— श्रवणकुमार वल्द नाथू उर्फ नानूराम, जाति चमार, निवासी पाटडीखेड़ा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

4— गुड्डीबाई पुत्री नाथू उर्फ नानूराम, जाति चमार, निवासी पाटडीखेड़ा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

5— रामकन्याबाई पुत्री नाथू उर्फ नानूराम, जाति चमार, निवासी पाटडीखेड़ा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

6— धापूबाई बेवा नाथू उर्फ नानूराम, जाति चमार, निवासी पाटडीखेड़ा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

7— दुर्गालाल वल्द मांगीलाल, जाति चमार, निवासी पाटडीखेड़ा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

8— राधेश्याम वल्द मांगीलाल, जाति चमार, निवासी पाटडीखेड़ा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

9— प्रेमचन्द वल्द मांगीलाल, जाति चमार, निवासी पाटडीखेड़ा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

10— पानाबाई बेवा मांगीलाल, जाति चमार, निवासी पाटडीखेड़ा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

11— नन्दूबाई पुत्री किशना पत्नी नन्दा जी, जाति चमार, निवासी पाटडीखेड़ा, हाल सरडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड मृतक कायम मुकामान :—

11/1— मांगीलाल पुत्र नन्दूबाई, जाति चमार, निवासी पाटडीखेड़ा, हाल सरडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

11/2— रमेश पुत्र नन्दूबाई, जाति चमार, निवासी पाटडीखेड़ा, हाल सरडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

12— रूकमाबाई पुत्री किशन पत्नी शिवलाल, चमार अध्यापक, जाति चमार निवासी पाटडीखेडा हाल मुकाम तृप्ति बिहार कालोनी इन्जीनियरिंग कालेज के पास सावेर रोड़ उद्योग जिला उज्जैन (मध्यप्रदेश)

13— अमरलाल वल्द नन्दा, जाति चमार, निवासी पाटडीखेड़ा, हाल सरडा, तहसील अकलेरा, हाल मुकाम मेला मैदान के पास अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

14— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 54/2016 **दायरा दिनांक : 26.02.2016**

उनवान

1— रामस्वरूप वल्द किशना, जाति चमार, निवासी पाटडीखेड़ा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

2— हरलाल वल्द किशना, जाति चमार, निवासी पाटडीखेड़ा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1— रूपचन्द वल्द नाथू उर्फ नानूराम, जाति चमार, निवासी पाटडीखेड़ा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

2— जगदीश कुमार वल्द नाथू उर्फ नानूराम, जाति चमार, निवासी पाटडीखेड़ा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

3— श्रवणकुमार वल्द नाथू उर्फ नानूराम, जाति चमार, निवासी पाटडीखेड़ा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

4— गुड्डीबाई पुत्री नाथू उर्फ नानूराम, जाति चमार, निवासी पाटडीखेड़ा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

5— रामकन्याबाई पुत्री नाथू उर्फ नानूराम, जाति चमार, निवासी पाटडीखेड़ा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

6— धापूबाई बेवा नाथू उर्फ नानूराम, जाति चमार, निवासी पाटडीखेड़ा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

7— दुर्गालाल वल्द मांगीलाल, जाति चमार, निवासी पाटडीखेड़ा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

8— राधेश्याम वल्द मांगीलाल, जाति चमार, निवासी पाटडीखेड़ा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

9— प्रेमचन्द वल्द मांगीलाल, जाति चमार, निवासी पाटडीखेड़ा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

10— पानाबाई बेवा मांगीलाल, जाति चमार, निवासी पाटडीखेड़ा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

11— नन्दूबाई पुत्री किशना पत्नी नन्दा जी, जाति चमार, निवासी पाटडीखेड़ा, हाल सरडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड मृतक कायम मुकामान :—

11/1– मांगीलाल पुत्र नन्दूबाई, जाति चमार, निवासी पाटडीखेड़ा, हाल सरडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

11/2– रमेश पुत्र नन्दूबाई, जाति चमार, निवासी पाटडीखेड़ा, हाल सरडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

12– रूकमा बाई पुत्री किशन पत्नी शिवलाल, चमार अध्यापक, जाति चमार निवासी पाटडीखेडा हाल मुकाम तृप्ति बिहार कालोनी इन्जीनियरिंग कालेज के पास सावेर रोड़ उद्योग जिला उज्जैन (मध्यप्रदेश)

13– अमर लाल वल्द नन्दा, जाति चमार, निवासी पाटडीखेड़ा, हाल सरडा, तहसील अकलेरा, हाल मुकाम मेला मैदान के पास अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

14– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट

की ओर से

श्री विजय कुमार जैन अभिभाषक रेस्पोडेंट

की ओर से

निर्णय **दिनांक : 01.01.2018**

ये दोनों अपीलें समान पक्षकारों के मध्य एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या – 640/2004 निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 19.07.2006 एवं निर्णय

व अंतिम डिक्री दिनांक 12.10.2006 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 6 ने अपीलांट एवं अन्य के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम पाटडीखेडा, तहसील अकलेरा में खतौनी संख्या नयी 68 की खसरा नम्बर 284 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 285 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 380 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 381 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा कुल 4 किता की 4 बीघा आराजी स्थित है जिसमें वादीगण 1 लगायत 6 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादीगण 5 लगायत 8 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 का 1/4 हिस्सा दर्ज है । ग्राम बावडीखेडा, तहसील अकलेरा में खतौनी संख्या 82 की खसरा नम्बर 233 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 234 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 235 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 236 रकबा 1 बिस्वा कुल 4 किता की 1 बीघा 6 बिस्वा आराजी वादीगण 1 लगायत 6 हिस्सा 1/6, प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 हिस्सा 1/6, प्रतिवादीगण 5 लगायत 8 हिस्सा 1/3, प्रतिवादी नम्बर 9 हिस्सा 1/3 दर्ज है । आराजी शामलाती खाते में रहने से आये दिन लड़ाई झगडा होता रहता है और करताराज अदा करने में परेशानी आती है । अतः दावा वादीगण स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी का विभाजन किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 19.07.2006 से दावा वादी स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की है और निर्णय दिनांक 12.10.2006 से विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील संख्या 56/2016 विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री के खिलाफ पेश की गई है और यह कथन किया गया है कि अपीलांट को कोई सम्मन अथवा नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है । सूचना के अभाव में अपीलांट जवाबदेही भी नहीं कर पाये हैं । वादीगण ने दौराने दावा ही खसरा नम्बर 380 और 381 में अपना 1/4 हिस्से का बेचान कर दिया है और इस तथ्य को उजागर नहीं किया है और न ही खरीददारान को पक्षकार बनाया है और शेष दोनों खसरा नम्बरों की सम्पूर्ण आराजी वादीगण ने प्राप्त कर ली है जो अवैध है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलांट गांव से बाहर मजदूरी के लिए जाते हैं इसलिए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं हो पायी दिनांक 17.01.2016 को विपक्षी द्वारा लडाई झगडा करने की कोशिश की गई और कहा कि जमीन पर हमने डिक्री जारी करवा ली है तब मालूम करने पर दिनांक 05.02.2016 को निर्णय व डिक्री की नकल हेतु आवेदन किया । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील संख्या 54/2016 विभाजन की अंतिम डिक्री के खिलाफ पेश की गई है और यह कथन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय में सिर्फ वादी की सहमति के आधार पर अंतिम डिक्री जारी की है । आपत्ति पेश करने का अवसर नहीं दिया गया है । राजस्व मण्डल नियम की पालना नहीं की गई है । अंतिम डिक्री प्रारम्भिक डिक्री से सर्वथा विपरीत है, कब्जे का ध्यान नहीं रखा गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलांट गांव से बाहर मजदूरी के लिए जाते हैं इसलिए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं हो पायी दिनांक 17.01.2016 को विपक्षी द्वारा लडाई झगडा करने की कोशिश की गई और कहा कि जमीन पर हमने डिक्री जारी करवा ली है तब मालुम करने पर दिनांक 05.02.2016 को निर्णय व डिक्री की नकल हेतु आवेदन किया । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

दोनों अपीलें प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दोनों अपीलों में लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई । लिखित बहस में उनके द्वारा कथन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी नम्बर 8 के अलावा अन्य प्रतिवादीगण की सूचना मानते हुए एक तरफा कार्यवाही की है और डिक्री जारी की है जबकि अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं हुए हैं । अपीलांट नौकरी करने बाहर चले गये हैं, सुनवायी का अवसर नहीं दिया है, जवाबदेही एवं साक्ष्य का अवसर नहीं दिया है । मौके पर कब्जे का ध्यान नहीं रखा गया है । वादीगण के द्वारा खसरा नम्बर 380 और 381 को बेचान किया गया है और शेष बची हुई खसरा नम्बर 284 व 285 की सम्पूर्ण आराजी प्राप्त कर ली है जो अवैध है । राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है । सिर्फ वादी की सहमति के आधार पर अंतिम डिक्री जारी की गई है । अतः दोनों अपीले स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि निर्णय और डिक्री सन् 2006 का है । सम्यक रूप से अपीलांट की तामील हुई थी । तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार 5 और 6 के सम्मन प्रतिवादी नम्बर 7 को दिये गये थे जो विधिक है । प्रारम्भिक डिक्री विधि सम्मत रूप से जारी की गई है । अंतिम डिक्री सन् 2006 में बनी है जिसकी अपील 2016 में की गई है । विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया है । आराजी का विभाजन हो चुका है और अंतिम डिक्री के अनुसार पक्षकार काबिज काश्त है । दोनों अपीले सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नकल जमाबंदी सम्वत 2058–61 खाता संख्या 68 सलंग्न है जिसमें वादग्रस्त आराजी कुल 4 किता की 4 बीघा राधेश्याम, दुर्गालाल, प्रेमचन्द पुत्र मांगी लाल, पान बाई बेवा मांगी लाल हिस्सा 1/4, नानूराम पुत्र रामा हिस्सा 1/4, रामस्वरूप, हरलाल पुत्र किशना, हिस्सा 1/4, अमर लाल पुत्र नन्दा हिस्सा 1/4 दर्ज है और नामान्तरकरण संख्या 131 का नोट अंकित है जिसके अनुसार नन्नूराम के स्थान पर वादीगण का नाम दर्ज हुआ है । नकल जमाबंदी एक्जीविट–2 खाता संख्या 82 है जिसके अनुसार कुल 4 किता की 1 बीघा 6 बिस्वा आराजी रामस्वरूप, हरलाल पुत्र किशना, नन्दू बाई, रूकमा बाई पुत्री किशना हिस्सा 1/3 अमर लाल पुत्र नन्दा हिस्सा 1/3 नन्नूराम पुत्र रामा हिस्सा 1/6, दुर्गालाल, राधेश्याम, प्रेमचन्द पुत्र मांग्या, पाना बाई बेवा मांग्या हिस्सा 1/6 दर्ज है और नामान्तरकरण संख्या 129 का नोट अंकित है जिसके अनुसार नन्नू के स्थान पर वादीगण का नाम दर्ज हुआ है और बयान रूपचन्द पी डब्ल्यू 1 पत्रावली में सलंग्न है ।

अपील में अपीलांटगण जो कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी नम्बर 5 और 6 थे उनकी तलबी का अवलोकन किया गया । प्रतिवादी नम्बर 5 का सम्मन उनकी बहन नन्दू बाई को दिया जाना अंकित है और प्रतिवादी नम्बर 6 हरलाल का सम्मन भी उनकी बहन नन्दू बाई को दिया जाना अंकित है । नन्दूबाई प्रतिवादी नं. 7 है। इन दोनों के उपस्थित नहीं आने पर दिनांक 21.09.2004 को उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई थी । प्रारम्भिक डिकी के खिलाफ जो अपील पेश की गई है उसमें अपीलांट ने मुख्य रूप से यह आपत्ति की है कि वादीगण ने दौराने दावा खसरा नम्बर 380 और 381 में अपने 1/4 हिस्सा बेचान कर दिया है इस तथ्य को उजागर नहीं किया है और शेष दोनों खसरा नम्बर 284 और 285 की सम्पूर्ण आराजी बंटवारे में प्राप्त कर ली है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नकल जमाबंदी खाता संख्या 68 एक्जीविट पी–1 सलंग्न है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी में वादीगण के पिता नानूराम का 1/4 हिस्सा दर्ज है । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा हिस्से के अनुसार विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपील गम्भीर रूप से अवधि बाधित है और विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया है। इन तथ्यों के आधार पर अपीलांटगण की अपील विरूद्ध प्रारंभिक डिक्री निरस्त होने योग्य है ।

अंतिम डिक्री दिनांक 12.10.2006 के अनुसार वादीगण ने 3 बीघा 13 बिस्वा का 1/4 हिस्सा बेचान कर दिया है और शेष भूमि 7 बिस्वा सम्पूर्ण उनको दे दी गई है और ग्राम बावडीखेडा की आराजी 1 बीघा 6 बिस्वा में खसरा नम्बर 236 की 1 बिस्वा को शामलाती में रखा है और शेष प्रतिवादीगण को दी गई है ।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी अपीलांट के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही हो चुकी है । बंटवारा प्रस्ताव आने के उपरान्त वकील वादी ने विभाजन से सहमति व्यक्त की थी । पक्षकारों की दो गांवों में जमीन थी जिसमें से ग्राम पाटडीखेडा में कुल 4 बीघा आराजी में

वादीगण का 1/4 हिस्सा था । अंतिम डिक्री में अंकित तथ्यों के अनुसार वादीगण द्वारा 3 बीघा 13 बिस्वा में से अपना 1/4 हिस्से का बेचान कर दिया गया था, शेष दो खसरा नम्बरों आराजी 7 बिस्वा बचती है जिसमें उनका 1/4 हिस्सा निहित है । गांव बावडीखेडा में कुल 1 बीघा 6 बिस्वा आराजी में वादीगण का 1/6 हिस्सा है जिसके अनुसार वादीगण के हिस्से में लगभग 7 बिस्वा आराजी आ रही है और अधीनस्थ न्यायालय ने उनको ग्राम पाटडीखेड़ा की लगभग 7 बिस्वा आराजी दी है । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट ने सन् 2006 में पारित अंतिम डिक्री के खिलाफ 10 वर्ष बाद अपील पेश की है जो गम्भीर रूप से अवधि बाधित है । अपीलांट ने एक तरफा डिक्री निरस्त करने के लिए जो प्रार्थना पत्र पेश किया था उसके खारिज होने के उपरान्त उसने सक्षम न्यायालय में रिवीजन भी पेश नहीं किया है और अपील में उन्होंने जो बिन्दू उठाये हैं वो भी सारभूत नहीं है क्योंकि यदि वादीगण ने दौराने दावा खसरा नम्बर 380 व 381 में अपना 1/4 हिस्से का बेचान किया है तो बंटवारे में वो आराजी खरीददार प्राप्त कर सकते हैं और दोनों गावों की कुल आराजी में उनका जो हिस्सा दर्ज है उसके लगभग ही उनको दी गई है। इन समस्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलांट विरूद्ध अंतिम डिक्री भी गम्भीर रूप से अवधि बाधित होने एवं गुणावगुण के आधार पर भी सारभूत रूप से विचारणीय नहीं होने के कारण खारिज की जाती है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीलें अपील संख्या 56/2016 एवं 54/2016 सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्रारिम्भक डिक्री दिनांक 19.07.2006 एवं निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 12.10.2006 यथावत रखे जाते हैं ।

निर्णय आज दिनांक 01.01.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा